छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) 492002
Email add - hocecb@gmail.com

क्रमांक /तक./मु./ छ.ग.पं.सं.मं./2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / /2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर/भिलाई–दुर्ग/बिलासपुर/कोरबा/
रायगढ़/जगदलपुर/अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :– Notification to exempt certain categories of industrial plants from the application of the proviso to sub-section (1) of section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and proviso to sub-section (1) of section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981- issuance of Standard Operating Procedure (SOP)- reg.

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक Q-15012/2/2022-CPW-Part (1) /e-240741 दिनांक 14/11/2024.

----:oo:----

उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक G.S.R. 703(E) एवं G.S.R. 702(E) दिनांक 12/11/2024 में निहित निर्देशों का उल्लेख है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार :–

(क) अधिसूचना की अनुसूची में यथा सूचिबद्ध 20 तक के प्रदूषण इंडेक्स स्कोर के सभी औद्योगिक संयंत्रों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को लिखित में सूचित करना पर्याप्त होगा तथा सम्मति शुल्क भुगतान आदि की आवश्यकता नहीं होगी, तथा उन्हे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समितियों से स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को ऐसे उद्योगो/गतिबिधियों की अलग से अद्यतन सूची संकलित करनी होगी तथा उल्लेखित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों का संपादन नहीं किया जा रहा है, यह भी सुनिश्चित करना होगा।

(ख) ऐसी सभी परियोजनाएं जिन्हें ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है, उन्हे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से स्थापना सम्मति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसे प्रकरणों में संलग्न पत्रानुसार मानक संचलन प्रकिया (SOP) का पालन किया गया हो।

ऐसी परियोजनाओं की संचालन सम्मति हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ग) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (क) और (ख) के अतिरिक्त अन्य उद्योगों/परियोजनाओं/गतिविधियों बाबत् पूर्वानुसार ही निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जानी होगी। उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न –उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 9128/तक./मु./ छ.ग.पं.सं.मं./2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/01/2025

प्रतिलिपिः–

समस्त अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

D:\Vijay Sir\All Letter.Doc